न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 66/2010

1 "मृतक" गोपाल पुत्र स्व. गणेश जाति गुर्जर निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू "नोट– दौराने अपील दिनांक 22.11.2011 को देहान्त हो गया।"
1/1 बनवारीलाल पुत्र स्व. गोपाल
1/2 रामजीलाल पुत्र स्व. गोपाल
1/3 श्योराम पुत्र स्व. गोपाल जाति गुर्जर निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू
1/4 श्रीमती दुर्गीदेवी पुत्री स्व. गोपाल पत्नी औकारमल जाति गुर्जर निवासी बांशीयाल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
1/5 श्रीमती बिमला पुत्र स्व. गोपाल पत्नी शीशराम जाति गुर्जर निवासी बंसल बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
2 रामेश्वर पुत्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 भगवानाराम पुत्र स्व. श्योनारायण
2 पूर्णमल पुत्र स्व. श्योनारायण
3 रोहताश पुत्र स्व. श्योनारायण
4 घमनराम पुत्र स्व. श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
5 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उनवानी भगवानाराम आदि बनाम गोपाल आदि दावा घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती दावा संख्या 293/2001

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दीपक चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 293/2001 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2010 विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 4/वादीगण ने अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के खिलाफ रेस्पोडेन्ट नं. 5 को प्रतिवादी नं. 3 बनाकर योग्य अदालत मातहत में दावा पेश किया जिसको न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2010 से डिक्री किया। इस निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाने के लिये व दावा निरस्त करवाने के लिये अपीलान्टस की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में घोषणा व रिकार्ड दुरस्ती का वाद था। वाद में भू—प्रबंध के दौरान अपीलांट का रकबा अधिक दर्ज करना अंकित किया गया किन्तु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दावे में किस खसरे में कितनी भूमि अधिक दर्ज हुई एवं किस खसरे में से भूमि कम करनी है इसका अंकन नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने जवाब दावा प्रस्तुत कर विक्रय के आधार पर भूमि कम दर्ज होने का कथन किया था। पक्षकारों के मध्य दिनांक 25.01.2001 को एक लिखावट निष्पादित हुई थी जो प्रदर्श–ए–1 है इससे वादी रेस्पोडेन्ट पाबंद थे। विचारण न्यायालय ने इस लिखावट का विवेचन विचाराधीन निर्णय में नहीं किया है। विवादित भूमि के संदर्भ में पूर्व में राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री हो चुका है। पुनः उसी विषय वस्तु पर नया दावा पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध लोक अदालत में विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट का जवाबदावा प्राप्त कर, उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के मिसल सं. 96/1984 उनवानी भगवानाराम आदि बनाम गोपाल आदि में पारित निर्णय दिनांक 31.07.1984 (प्रदर्श–7) के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 639/1 में से रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 640 संपूर्ण रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कुल 12 बीघा 5 बिस्वा भूमि गोपाल के हिस्से में आई थी तथा साबिक खसरा नम्बर 639/1 की शेष भूमि 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 639/2 रकबा 15 बीघा 11 बिसवा कुल 18 बीघा 15 बिस्वा स्योनारायण (वादीगण के पिता) के हिस्से में आई थी। मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2) के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

639/1, 639/2 व 640 के हाल खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.64 है., 1384 रकबा 2.55 है., 1433 रकबा 0.05 है., 1434 रकबा 1.75 है. 1438 रकबा 0.05 है., 1439 रकबा 0.04 है., 1440 रकबा 2.91 है. बने है। जमाबंदी संवत् 2057. 60 ग्राम जसरापुर (प्रदर्श–5) के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1384, 1433 व 1434 कुल किता 3 कुल किता 3 कुल रकबा 4.35 है. वादीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2057–60 खाता सं. 74 ग्राम जसरापुर (प्रदर्श–4) के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 1438, 1439, 1440 कुल किता 3 कुल रकबा 3.0 है. प्रतिवादी सं. 1 गोपाल की खातेदारी में दर्ज है एवं ख.न. 1344 रकबा 0.68 है. प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वर की खातेदारी में दर्ज है। उभय पक्षकारान इस तथ्य से सहमत है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मुं.नं. 96/1984 में राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 31.07.1984 से पूर्णतः सहमत है। अतः उसके अनुसार दावा डिक्री किया जाना व अभिलेख दुरूस्त किया जाना उचित है। पूर्व दावा सं. 96/1984 में उभय पक्षकारान का राजीनामा दिनांक 21.07.1984 को हुआ था जिसके आधार वादीगण के पिता के हिस्से की 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि आई थी जिसका रकबा 4.75 है. बनता है तथा प्रतिवादी सं. 1 गोपाल के हिस्से में 12 बीघा 7 बिस्वा आई थी (प्रदर्श–1) जिसका रकबा 3.12 है. बनता है अर्थात् वादीगण के हिस्से की 0.40 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में भू प्रबंध की कार्यवाही के दौरान दर्ज कर दी गई जो काबिले दुरूस्ती है तथा हाल खसरा नम्बर 1344, 1440 व 1384, 1434 के मध्य की सीमा हाल नक्शा सीट सन् 1979–80 (प्रदर्श–7) का मिलान इस खसरा नंबरो के साबिक खसरा नम्बर 640 व 639 नक्शा सीट सन् 1938–39 को अध्यारोपित (Super Impose) करके देखने से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में हाल खसरा नम्बर 1344, 1440 व 1384, 1434 की विभाजन रेखा उत्तर–दक्षिण सीधी थी तथा वर्तमान नक्शे में उत्तर में इस विभाजन रेखा को मोड़कर खसरा नम्बर 1344 की ओर तिरछा कर दिया गया जबकि उभय पक्षकारान का कथन है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के खातेदारी के खेतों के मध्य उक्त विभाजन रेखा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आज भी सीधी है। अतः साक्ष्य सबूतों से यह स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 1344, 1440 व 1384, 1434 के मध्य की विभाजन रेखा को मौके के अनुसार सीधा करके दुरूस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर